

COURT 'संख्या 28'

(नियम 4के देखिए)

Authorisation No. 2916

Rs. 00001000 26 3 2014



Handwritten notes on the left margin: '4/11/26/14', '26/03/14', '2.30/14', 'प्रीति कौशिक', 'Notary', 'प्रीति कौशिक'.

30, पटना हाईकोर्ट
निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

गाम-क जौहर आजाद **पुत्र/पुत्री/पुत्री नादमगद सुन-तथा 5
आयु 29 वर्ष जो अपीमावादे, (अकोली, प्रो. मीरजु
शाहजाद कबीरवादी, धाना, मुलवाण जंजिर,

पटना 800001 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-
(1) जौहर आजाद लोक सभा (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(2) मेरा नाम 18B फुल्लार स्थान पटना (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 252 के क्रम सं 199 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 8271617607 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) X है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)




1.	स्वयं	AEDPA02054	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	eJVPSS6SSP	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(d) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सूक्ष्म अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। लागू नहीं

यदि अभिसूक्ष्म ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सूक्ष्म अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक दी गई	लागू नहीं



है/हैं	नाजू नहीं
--------	-----------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) भेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-


(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाजू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नाजू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नाजू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : नाजू नहीं होता

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नाजू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाजू नहीं



(ग)	अधिरोधित दंड	लागू नहीं है।
(घ)	क्या सिद्धदोष उठराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं है।

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वागित्त की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचर्स का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	60,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹ 22 लैक ₹ 30 फ ₹ 52211 ₹ 42011 ₹ 500/-	₹ 22 लैक ₹ 30 फ ₹ 52211 ₹ 42011 ₹ 500/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचर्स/शेयर्स तथा युनिटों	शून्य	शून्य	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है



में विनिधान के ब्यौरे और रकम	४	४	४	४	४
------------------------------	---	---	---	---	---


(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	भा. 100 एकरो DL9CM692	हुन्सा (100) BR01BH 5998	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेकरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	200000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दायों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	160,000	400,500/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वाभित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	४	४	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	है (हां या नहीं)	बढ़ी	बढ़ी	नहीं	नहीं	बढ़ी
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लाभ/नहीं	लाभ/नहीं	लाभ/नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य			
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	✓	✓	✓
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	✓	✓	✓



(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) (अवस्थिति) (अवस्थिति) संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	X	X	X
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	X	X	X
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	X	X	X
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	X	X	X
	विकारा, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	X	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	X	X	X
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	X	X	X
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	X	X	X

(e) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बारे में नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के व्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	4,00,000/-	Kaluk Mahinder Das Das	X	X	X
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	X	X	X
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	X	X	X
	दायित्वों का कुल योग	4,00,000/-	3,00,000/-	X	X	X



(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आधार से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	माझू नही	माझू नही	नही
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	X	X	X
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	X	X	X
(iv)	यथा कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	X	X	X

(9) दृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कोशी/गोरखपुर

(ख) पति या पत्नी 5/17-22

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

5-22, 5-22 मिडियर काशीमठ, परना, कोशी, 80001

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)




भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं. ^प जा. हे. मा. पा. दि.				
2	डाक का पता	गांधीवाड़ा कालोनी, पिन-800006 भारत खुलवावा, पटना-800006				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	183, बुधवार विधान सभा पटना, बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	जनता दल 210994				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सजा सुनाया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोप तहसारा गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दायित्व आय		
	(क) अभ्यर्थी	REDPA02 05N	2017	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	03VP556 55P	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	60,000/- ₹	3,00,000/- ₹	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



ख	स्थावर आस्तियाँ					
	i. स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	X	X	X
	ii. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	X	X	X
	iii. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	X	X	X
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	X	X	X
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)					
9	दायित्व	शून्य	शून्य	X	X	X
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	X	X	X
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	X	X	X
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	X	X	X
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	X	X	X
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	इंजीनियरिंग				



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंघित मामलें से गिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंघित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से गिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26/3/14 को सत्यापित किया गया।

Sankar Prasad
अभिसाक्षी

Identify the deponent's
Signature / L.P.I.* who has
stamped and affixed in my presence


टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे उपरोक्त रीक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र भर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग गजिरट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसॉर्सेस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर



लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 8271617607
मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है jahez.azad@gmail.com
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है 5757

